बीयू का बीएड संबद्धता घोटाला! कागजी कॉलेज का खुलासा....

# 116 निजी बीएड कॉलेजों की जाँच रिटायर्ड जज करेंगे

- 127 - बीएड कॉलेजों ने संबद्धता के लिए आवेदन किया
- 125 - कॉलेजों को सशर्त संबद्धता दी गई
- 116 - कॉलेज अब रिटायर्ड जज की जांच के दायरे में
- 30 के करीब - कॉलेजों में अनियमितताएं सामने आईं
- 2 - कॉलेज निरीक्षण में गायब मिले
- 5 - कॉलेजों में गंभीर अनियमितताएं पाई गईं
- 3 - कॉलेज गलत स्थान पर संचालित मिले

**नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपालः** बरकतउल्ला विश्वविद्यालय (बीयू) से संबद्ध निजी बीएड कॉलेजों की मान्यता और संबद्धता प्रक्रिया पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। विश्वविद्यालय के निरीक्षण में कई कॉलेजों में भारी अनियमितताएं सामने आने के बाद कार्यपरिषद (ईसी) ने 116 निजी बीएड कॉलेजों की संबद्धता प्रक्रिया की जांच सेवानिवृत्त न्यायाधीश से कराने का फैसला किया है।

सबसे बड़ा खुलासा विदिशा रोड स्थित ग्राम मुगलिया कोट में संचालित बताए जा रहे श्रीराम कॉलेज ऑफ एजुकेशन को लेकर हुआ। विश्वविद्यालय के रिकॉर्ड में यह कॉलेज पिछले करीब दस वर्षों से संबद्ध है, लेकिन औचक निरीक्षण के दौरान मौके पर कॉलेज का कोई अस्तित्व नहीं मिला। सूत्रों के अनुसार एक अन्य कॉलेज भी केवल कागजों में संचालित होने की आशंका है।

इस खुलासे ने विश्वविद्यालय की संबद्धता प्रक्रिया, निरीक्षण व्यवस्था और राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) की मान्यता प्रणाली पर गंभीर प्रश्नचिह्न लगा दिए हैं।

### शिकायत के बाद खुली परतें

सामाजिक कार्यकर्ता भगवान सिंह राजपूत ने मार्च में उच्च शिक्षा विभाग, बरकतउल्ला विश्वविद्यालय और आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ (ईओडब्ल्यू) को शिकायत भेजकर श्रीराम कॉलेज ऑफ एजुकेशन की वैधता पर सवाल उठाए थे। शिकायत में आरोप लगाया गया कि कॉलेज केवल कागजों में संचालित हो रहा है, जबकि जिस भूमि पर उसका संचालन दर्शाया गया है वहां वर्षों से खेती की जा रही है।

शिकायत में पिछले दस वर्षों के निरीक्षण प्रतिवेदन, संबद्धता आदेश, एनसीटीई की मान्यता और प्रवेश अभिलेखों की फोरेंसिक जांच कराने के साथ दोषी अधिकारियों एवं संस्था संचालकों के खिलाफ भ्रष्टाचार, जालसाजी, धोखाधड़ी और आपराधिक षड्यंत्र के तहत एफआईआर दर्ज करने की मांग भी की गई है।

### एक पते पर दो कॉलेज, कई संस्थानों में गंभीर कमियां

निरीक्षण के दौरान एचएल अग्रवाल बीएड कॉलेज और एचएल अग्रवाल कॉलेज ऑफ एजुकेशन, इटारसी एक ही पते पर संचालित दर्शाए गए, जबकि निरीक्षण दल को वहां निर्धारित भवन तक नहीं मिला।
इसके अलावा दीक्षा महाविद्यालय, एडीएस महाविद्यालय, बोनीफाई कॉलेज, भोपाल डिग्री कॉलेज, डॉ. शंकर दयाल शर्मा स्मृति महाविद्यालय, जवाहरलाल नेहरू कॉलेज, मिलेनियम कॉलेज ऑफ एजुकेशन, श्री द्वारिका प्रसाद यादव महाविद्यालय और तक्षशिला महाविद्यालय सहित कई संस्थानों में गंभीर कमियां पाई गई हैं।

### क्या बोले कुलसचिव

विश्वविद्यालय से संबद्धता एवं निरंतरता के लिए 127 कॉलेजों के आवेदन प्राप्त हुए थे। इनमें से 125 कॉलेजों को कार्यपरिषद ने सशर्त संबद्धता दी थी। अब कार्यपरिषद ने 116 कॉलेजों की संबद्धता प्रक्रिया की जांच सेवानिवृत्त न्यायाधीश से कराने की अनुशंसा की है।

**समर बहादुर सिंह, कुलसचिव, बरकतउल्ला विश्वविद्यालय**

### 125 कॉलेजों को पहले ही मिल चुकी थी सशर्त संबद्धता

नए शैक्षणिक सत्र के लिए 127 निजी बीएड कॉलेजों ने संबद्धता और निरंतरता के लिए आवेदन किया था। निरीक्षण के दौरान पांच कॉलेजों में गंभीर अनियमितताएं, दो कॉलेज पूरी तरह गायब तथा तीन कॉलेज निर्धारित स्थान के बजाय अन्य स्थान पर संचालित पाए गए। इसके बावजूद 24 जून को कार्यपरिषद ने केवल शपथ-पत्र के आधार पर 125 कॉलेजों को सशर्त संबद्धता और निरंतरता प्रदान कर दी थी। अब 9 जुलाई को हुई कार्यपरिषद की बैठक में निर्णय लिया गया कि 116 कॉलेजों की संबद्धता प्रक्रिया की विस्तृत जांच सेवानिवृत्त न्यायाधीश से कराई जाएगी। जांच में उन मामलों को भी शामिल किया जाएगा, जिनमें निरीक्षण के बिना कॉलेजों को राहत दी गई या कार्यपरिषद की अंतिम मंजूरी से पहले ही उनकी प्रोफाइल ई-पोर्टल पर 'ओके' कर अपलोड कर दी गई।

# दतिया उपचुनावः भाजपा ने दिया एकजुटता का संदेश किसी कार्यकर्ता का इस्तीफा नहीं होगा स्वीकार

**नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपालः** दतिया विधानसभा उपचुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने संगठनात्मक एकजुटता का स्पष्ट संदेश दिया है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं विधायक श्री हेमंत खंडेलवाल तथा क्षेत्रीय संगठन महामंत्री श्री अजय जामवाल से मुख्यमंत्री निवास में पार्टी के वरिष्ठ नेता डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने सौजन्य भेंट की। बैठक में दतिया उपचुनाव की रणनीति, चुनावी तैयारियों और संगठनात्मक विषयों पर विस्तार से चर्चा हुई।

बैठक में यह तय किया गया कि पार्टी सर्वोपरि है और सभी कार्यकर्ता संगठन के निर्णयों के साथ पूरी निष्ठा और प्रतिबद्धता से खड़े रहेंगे। दतिया उपचुनाव के दौरान कुछ कार्यकर्ताओं द्वारा भावावेश में दिए गए इस्तीफों के संबंध में भी विचार-विमर्श हुआ। पार्टी नेतृत्व ने स्पष्ट किया कि ऐसे इस्तीफे संगठन को प्राप्त नहीं हुए हैं और भाजपा किसी भी कार्यकर्ता का इस्तीफा स्वीकार नहीं करेगी।

नेताओं ने सभी कार्यकर्ताओं से मतभेद भुलाकर पूरी एकजुटता, उत्साह और समर्पण के साथ पार्टी प्रत्याशी श्री आशुतोष तिवारी के पक्ष में चुनाव प्रचार में जुटने का आह्वान किया। भाजपा नेतृत्व ने विश्वास जताया कि दतिया विधानसभा उपचुनाव में पार्टी रिकॉर्ड मतों से जीत दर्ज करेगी।

# टीटी नगर पुलिस ने 48 घंटे में सुलझाई लूट की वारदात

**नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपालः** टीटी नगर थाना पुलिस ने महज 48 घंटे के भीतर लूट की वारदात का खुलासा करते हुए पांच विधि-विरोधी बालकों को अभिरक्षा में लिया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से लूटे गए 10 हजार रुपये, नोकिया कंपनी का कीपैड मोबाइल तथा घटना में प्रयुक्त ई-रिक्शा बरामद किया है। पुलिस के अनुसार 8 जुलाई 2026 को होमगार्ड कर्मचारी रफीक मोहम्मद ने थाना टीटी नगर में शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया कि शाम करीब 7 बजे वह होटल पलाश के पास शनि मंदिर के सामने बैठे थे। इसी दौरान पांच अज्ञात युवक उनसे काटजू अस्पताल का रास्ता पूछने के बहाने आए। बातचीत के दौरान आरोपियों ने उन्हें जमीन पर गिरा दिया और उनकी जेब से 10 हजार रुपये, एटीएम कार्ड तथा नोकिया का कीपैड मोबाइल लूटकर फरार हो गए। शिकायत के आधार पर थाना टीटी नगर में अपराध क्रमांक 578/2026 दर्ज कर जांच शुरू की गई। मुखबिर की सूचना पर दबिश,पुलिस आयुक्त संजय कुमार, अतिरिक्त पुलिस आयुक्त शैलेन्द्र सिंह चौहान, पुलिस उपायुक्त अखिल पटेल, अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त रश्मि अग्रवाल दुबे तथा सहायक पुलिस आयुक्त अंकिता खातरकर के निर्देशन में थाना प्रभारी निरीक्षक गौरव सिंह दोहर के नेतृत्व में विशेष टीम गठित की गई। जांच के दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि पांच संदिग्ध लड़के एक ई-रिक्शा में सवार होकर आ रहे हैं। पुलिस ने घेराबंदी कर उन्हें पकड़ लिया। पूछताछ में सभी ने होटल पलाश के पास हुई लूट की वारदात में शामिल होना स्वीकार किया। सभी आरोपी विधि-विरोधी बालक पाए गए। लूटा गया सामान बरामद,पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर 10 हजार रुपये, नोकिया कंपनी का कीपैड मोबाइल तथा वारदात में इस्तेमाल ई-रिक्शा (क्रमांक एमपी04 जेडएफ 7176) बरामद कर जब्त कर लिया है। मामले में आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।

## अब हर गुमशुदगी के मामले में दर्ज होगी प्राथमिकी

**नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपालः** मप्र पुलिस ने गुमशुदा व्यक्तियों की शीघ्र खोज और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से प्रदेश की सभी पुलिस इकाइयों को प्रत्येक गुम इंसान के प्रकरण में अनिवार्य रूप से प्राथमिकी दर्ज करने के निर्देश जारी किए हैं। इस संबंध में पुलिस मुख्यालय ने सभी पुलिस आयुक्तों, पुलिस महानिरीक्षकों, उप पुलिस महानिरीक्षकों तथा पुलिस अधीक्षकों को विस्तृत निर्देश भेजे हैं।

वर्ष 2012 में सर्वोच्च न्यायालय ने बचपन बचाओ आंदोलन बनाम भारत सरकार प्रकरण में गुम नाबालिग बच्चों के मामलों में प्राथमिकी दर्ज करने के निर्देश दिए थे। अब सर्वोच्च न्यायालय ने जी. गणेश बनाम तमिलनाडु राज्य एवं अन्य प्रकरण में दिए गए निर्णय के अनुसार प्रत्येक गुम इंसान, चाहे वह महिला हो या पुरुष, के मामले में भी अनिवार्य रूप से प्राथमिकी दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन में पुलिस मुख्यालय ने सभी पुलिस अधिकारियों को निर्देशित किया है कि गुमशुदगी की सूचना मिलते ही तत्काल प्राथमिकी दर्ज कर विधि सम्मत जांच प्रारंभ की जाए। साथ ही गुमशुदा व्यक्ति की शीघ्र तलाश के लिए सभी आवश्यक वैधानिक और तकनीकी उपाय सुनिश्चित किए जाएं।

# स्वच्छ भारत मिशन समाप्ति से पहले संविदा कर्मियों को राहत

**नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपालः** मध्यप्रदेश में संविदा कर्मचारियों के लिए राहत की खबर है। राज्य में संचालित स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) आगामी 31 मार्च 2027 को समाप्त होने जा रहा है। मिशन के बंद होने से पहले ही राज्य सरकार ने इसमें कार्यरत सैकड़ों संविदा अधिकारियों और कर्मचारियों के भविष्य को सुरक्षित रखने की तैयारी शुरू कर दी है।

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने निर्णय लिया है कि मिशन समाप्त होने के बाद कर्मचारियों को सेवा से मुक्त करने के बजाय उनका समायोजन अन्य शासकीय विभागों और योजनाओं में किया जाएगा। इसके लिए विभाग ने संबंधित सभी विभागों से संविदा के रिक्त पदों की जानकारी मांगी है, ताकि उपलब्ध रिक्तियों के आधार पर कर्मचारियों को समायोजित किया जा सके।

### अन्य विभागों और योजनाओं में समायोजन की तैयारी, रिक्त पदों की जानकारी मांगी गई

सरकार का उद्देश्य मिशन के समापन के कारण कार्यरत अधिकारियों और कर्मचारियों के सामने रोजगार का संकट उत्पन्न न होने देना है। इसी दिशा में विभागीय स्तर पर आवश्यक प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। विभाग का मानना है कि समय रहते समायोजन की व्यवस्था सुनिश्चित होने से मिशन में कार्यरत संविदा कर्मचारियों को राहत मिलेगी तथा उनकी सेवाओं का उपयोग अन्य शासकीय योजनाओं और विभागों में किया जा सकेगा।

# मुख्यमंत्री ने परमवीर चक्र विजेता रामा राघोबा राणे को पुण्यतिथि पर किया नमन

**भोपाल।** मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने परमवीर चक्र से सम्मानित सेकेंड लेफ्टिनेंट रामा राघोबा राणे की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि राणे ने देश की रक्षा के लिए अद्वितीय साहस और पराक्रम का परिचय दिया तथा सैन्य सेवा के बाद भी राष्ट्रहित में अनुकरणीय योगदान दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि रामा राघोबा राणे पहले सैनिक थे, जिन्हें उनके जीवनकाल में ही परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। उनका शौर्य और राष्ट्रसेवा आने वाली पीढ़ियों के लिए सदैव प्रेरणा का स्रोत बनी रहेगी।

## प्रदेश में तीन दिन हल्की वर्षा के आसार

**नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपालः** मध्यप्रदेश में अगले तीन दिनों तक हल्की वर्षा का दौर बने रहने की संभावना है। मौसम केंद्र, भोपाल के अनुसार वर्तमान मौसम तंत्र कमजोर पड़ रहा है, जिसके कारण 11, 12 और 13 जुलाई को प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में रिमझिम वर्षा होने का अनुमान है। हालांकि 14 जुलाई से कुछ जिलों में फिर से तेज वर्षा होने की संभावना जताई गई है।

## दक्षिण-पश्चिम विधानसभा का प्रतिभा सम्मान समारोह आज

**नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपालः** नवप्रयास सांस्कृतिक एवं सामाजिक विकास समिति द्वारा आयोजित दक्षिण-पश्चिम विधानसभा क्षेत्र का प्रतिभा सम्मान समारोह रविवार शाम चार बजे रवींद्र भवन के हंसध्वनि सभागार में आयोजित किया जाएगा। समिति के संरक्षक एवं विधायक भगवानदास सबनानी ने बताया कि समारोह के मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव होंगे। कार्यक्रम का प्रमुख आकर्षण करियर मार्गदर्शन एवं प्रेरक उद्बोधन सत्र रहेगा। इस अवसर पर भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, भोपाल के संस्थापक निदेशक डॉ. आशुतोष कुमार सिंह विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, नवाचार, तकनीकी शिक्षा तथा भविष्य के रोजगार के अवसरों पर मार्गदर्शन देंगे।

## डिप्लोमा इंजीनियर्स एसोसिएशन को मिला नया नेतृत्व

**नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपालः** मध्यप्रदेश डिप्लोमा इंजीनियर्स एसोसिएशन की बैठक यांत्रिकी भवन में आयोजित हुई। वर्तमान प्रांताध्यक्ष आर. पी. शर्मा के सेवानिवृत्त होने के कारण रिक्त पद पर सर्वसम्मति से वर्तमान महामंत्री एवं लोक निर्माण विभाग के कपिल त्यागी को प्रांताध्यक्ष मनोनीत किया गया। उनके स्थान पर ग्रामीण यांत्रिकी सेवा के योगेश उपाध्याय को नया महामंत्री बनाया गया।

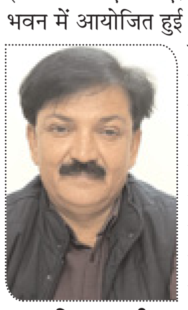

कपिल त्यागी

बैठक में विभिन्न विभागों में चल रही पदोन्नति प्रक्रिया और उससे जुड़ी समस्याओं पर विस्तृत चर्चा की गई। समस्याओं के निराकरण के लिए सभी तकनीकी विभागों के विभागाध्यक्षों और प्रमुख अभियंताओं से मिलकर समाधान का प्रयास करने का निर्णय लिया गया। संगठन के ढांचे तथा निष्क्रिय जिला एवं क्षेत्रीय समितियों की समीक्षा के बाद आगामी 45 दिनों में प्रदेश के सभी 55 जिलों और 12 संभागों में अध्यक्षों की नियुक्ति कर नई कार्यकारिणी गठित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया।

# शादी का झांसा देकर महिला से दुष्कर्म का आरोप

- आठ महीने तक संबंध बनाने के बाद शादी से किया इन्कार
- पीड़िता की शिकायत पर मामला दर्ज

**नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपालः** भोपाल में पति से अलग रह रही 28 वर्षीय महिला की शिकायत पर शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने का मामला दर्ज किया गया है। आरोप है कि युवक ने शादी का भरोसा देकर महिला के साथ शारीरिक संबंध बनाए और बाद में शादी से इनकार कर दिया। पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार पीड़िता मूल रूप से महाराष्ट्र की रहने वाली है। वह अपने पति से अलग होने के बाद भोपाल आकर रहने लगी थी और सड़क किनारे फूड ठेला लगाकर आजीविका चला रही थी। इसी दौरान उसकी पहचान राहुल नामक युवक से हुई। दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ीं और आरोपी ने कथित तौर पर शादी का वादा किया।

होटल ले जाकर दुष्कर्म का आरोप,महिला का आरोप है कि अक्टूबर 2025 में आरोपी उसे घूमने के बहाने नेहरू नगर चौराहा स्थित एक होटल में ले गया। वहां जल्द शादी करने का भरोसा देकर उसके साथ दुष्कर्म किया। इसके बाद करीब आठ महीने तक आरोपी शादी का आश्वासन देकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता रहा।

### शादी की बात पर बनाई दूरी

पीड़िता का कहना है कि जब उसने शादी का दबाव बनाया तो आरोपी ने शादी से साफ इनकार कर दिया और उससे दूरी बना ली। इसके बाद महिला ने थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने महिला की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर लिया है। फिलहाल आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है और उसकी तलाश की जा रही है। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है। उपलब्ध साक्ष्यों और जांच के आधार पर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। आरोपी के आरोपों पर उसका पक्ष फिलहाल सामने नहीं आया है।

## छह महीने से फरार बदमाश शाहपुरा पुलिस के हत्थे चढ़ा

**नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपालः** शाहपुरा थाना पुलिस ने करीब छह महीने से फरार चल रहे एक बदमाश को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी थाना शाहपुरा के दो आपराधिक प्रकरणों तथा तीन लंबित गिरफ्तारी वारंट में वांछित था। पुलिस ने उसके कब्जे से एक अवैध धारदार चाकू भी बरामद किया है। पुलिस के अनुसार गिरफ्तार आरोपी की पहचान सुमित खेरदे उर्फ काला (24), निवासी झुग्गी नंबर 74, हनुमान मंदिर के पास, भरत नगर, शाहपुरा के रूप में हुई है। आरोपी के खिलाफ थाना शाहपुरा में दर्ज दो मामलों में कार्रवाई लंबित थी। इसके अलावा उसके विरुद्ध तीन गिरफ्तारी वारंट भी जारी थे। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर चलाए जा रहे फरार आरोपियों की धरपकड़ अभियान के तहत 10 जुलाई 2026 को पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। तलाशी के दौरान उसके कब्जे से एक अवैध धारदार चाकू बरामद किया गया। पुलिस ने आरोपी को दोनों लंबित प्रकरणों एवं तीन गिरफ्तारी वारंट में विधिवत गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।

**दो मामलों और तीन गिरफ्तारी वारंट में था वांछित,कब्जे से धारदार चाकू बरामद**

# मूल विद्यालय नहीं पहुंचे शिक्षकों की जानकारी मांगेगा शिक्षक संगठन

**नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपालः** मंत्रालय में बाबू तथा विधायकों के निजी सचिव के रूप में कार्य कर रहे शिक्षकों का अटैचमेंट समाप्त कर उन्हें मूल विद्यालयों में भेजने के आदेश के बावजूद कई शिक्षकों ने अब तक अपनी मूल पदस्थापना वाले विद्यालयों में कार्यभार ग्रहण नहीं किया है। बताया जा रहा है कि कुछ शिक्षक राजनीतिक प्रभाव के बल पर अपने कार्यमुक्ति आदेश निरस्त कराकर दोबारा पूर्व स्थान पर पदस्थ होने का प्रयास कर रहे हैं। इस बीच उनकी इलेक्ट्रॉनिक उपस्थिति भी मूल विद्यालय से दर्ज नहीं हो रही है। मामले को लेकर शासकीय शिक्षक संगठन, मप्र ने सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत विस्तृत जानकारी मांगने का निर्णय लिया है। संगठन का कहना है कि इससे शिक्षा विभाग में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित की जा सकेगी। संगठन के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष उपेन्द्र कौशल ने बताया कि सूचना के अधिकार के तहत उन शिक्षकों की जानकारी मांगी जाएगी, जो अटैचमेंट समाप्त होने के बाद भी अपनी मूल संस्था में उपस्थित नहीं हुए हैं अथवा जिनकी इलेक्ट्रॉनिक उपस्थिति मूल विद्यालय की स्थिति से दर्ज नहीं हो रही है। संगठन ऐसे शिक्षकों की सूची, उनकी मूल पदस्थापना, अटैचमेंट समाप्त करने के आदेश, मूल विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने की स्थिति तथा विभाग द्वारा की गई कार्रवाई से संबंधित जानकारी प्राप्त करेगा। उपेन्द्र कौशल ने कहा कि यदि शिक्षा विभाग सभी कर्मचारियों पर समान नियम लागू होने का दावा करता है तो उनका पालन भी बिना किसी भेदभाव के होना चाहिए।

### सूचना के अधिकार के तहत उपस्थिति और विभागीय कार्रवाई का ब्योरा किया जाएगा प्राप्त

**आदेश** *भोपाल के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को जांच जारी रखने के निर्देश*

# वसुंधरा राजे के नाम से वायरल पत्र मामले में हाई कोर्ट का फैसला

**नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपालः** राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के नाम से कथित फर्जी पत्र प्रसारित होने के मामले में मध्यप्रदेश हाई कोर्ट ने महत्वपूर्ण आदेश जारी करते हुए भोपाल के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को निर्देश दिए हैं कि कांग्रेस सूचना प्रौद्योगिकी प्रकोष्ठ के तीन कार्यकर्ताओं के बयानों को शिकायत का आधार मानकर जांच की जाए। न्यायालय ने जयपुर पुलिस के संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध जांच जारी रखने के भी निर्देश दिए हैं।

कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश विवेक रूसिया और न्यायमूर्ति प्रदीप मित्तल की खंडपीठ ने बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि यदि तीनों कांग्रेस कार्यकर्ता कथित अवैध हिरासत के लिए मुआवजा चाहते हैं तो वे इसके लिए सक्षम न्यायालय में पृथक याचिका प्रस्तुत कर सकते हैं। साथ ही न्यायालय ने पुलिस द्वारा दर्ज प्रकरण की विधिसम्मत जांच जारी रखने के निर्देश भी दिए।

मामला 19 और 20 अप्रैल 2026 का है, जब राजस्थान पुलिस ने मध्यप्रदेश पुलिस के सहयोग से कांग्रेस सूचना प्रौद्योगिकी प्रकोष्ठ से जुड़े निखिल प्रजापति उर्फ अतुल प्रजापति, बिलाल खान और इनाम अहमद को हिरासत में लिया था। याचिका में आरोप लगाया गया था कि तीनों को भोपाल स्थित साइबर अपराध थाने में दो दिन तक अवैध रूप से रखा गया और इस दौरान उन्हें किसी मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया।

राज्य सरकार की ओर से न्यायालय को बताया गया कि राजस्थान पुलिस की मौखिक सूचना पर तीनों को पूछताछ के लिए बुलाया गया था। बाद में उन्हें परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया और प्रकरण दर्ज होने की सूचना मिलने के बाद अगले दिन उन्हें फिर साइबर अपराध थाने बुलाकर राजस्थान पुलिस को सौंप दिया गया।

सुनवाई के दौरान उच्च न्यायालय ने संबंधित थाने की निगरानी चित्रांकन की रिकॉर्डिंग तलब की थी तथा तीनों कार्यकर्ताओं को न्यायालय में प्रस्तुत करने के निर्देश दिए थे। न्यायालय के आदेश पर उनके अलग-अलग बयान दर्ज कराए गए। कार्यकर्ताओं ने अपने बयानों में राजस्थान और मध्यप्रदेश पुलिस के दावों को गलत बताया, जिसके बाद न्यायालय ने दोनों राज्यों की पुलिस को फटकार लगाई और बयानों की प्रति भोपाल पुलिस आयुक्त को भेजने के निर्देश दिए।

न्यायालय के निर्देश पर पीड़ितों के बयानों को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत शिकायत मानते हुए कार्रवाई प्रारंभ की गई। अदालत को बताया गया कि संबंधित पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध प्रकरण दर्ज कर विभागीय जांच भी जारी है। यह पूरा मामला वसुंधरा राजे के नाम से सामाजिक माध्यमों पर प्रसारित एक कथित फर्जी पत्र से जुड़ा है, जिसे लेकर राजस्थान में प्रकरण दर्ज किया गया था।

## जहर खाने वाली महिला की इलाज के दौरान मौत

**नप्र, भोपाल :** तलैया क्षेत्र से जुड़े एक मर्ग मामले में हमीदिया अस्पताल में भर्ती पूजा गाडगे की इलाज के दौरान मौत हो गई। रिपोर्ट के अनुसार महिला ने 26 जून को जहर खाया था, जिसके बाद उसका उपचार चल रहा था। 11 जुलाई को उपचार के दौरान मृत्यु होने पर पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू की है।

## पार्क में बैठने की बात पर विवाद

पिपलानी थाना क्षेत्र के भानपुर इलाके में मामूली बात पर विवाद बढ़ गया। शिकायत के अनुसार पार्क में बैठने को लेकर अमन सिलावट और पवन सिलावट ने मोहन शर्मा के साथ गाली-गलौज की, मारपीट की और धमकी भी दी।

# आस्था के नाम पर जनता से विश्वासघात हो रहाः अतुल

**नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपालः** कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता अतुल लोंढे पाटिल ने शनिवार को भोपाल में पत्रकार वार्ता कर भाजपा पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा ने प्रभु राम की आस्था के साथ खिलवाड़ किया और धर्म का उपयोग केवल सत्ता हासिल करने के लिए किया। उनका कहना था कि भाजपा की मंशा जनता की आस्था का सम्मान करना नहीं, बल्कि उसका राजनीतिक लाभ उठाना है।

पाटिल ने आरोप लगाया कि भाजपा ने देश की आस्थावान जनता के साथ विश्वासघात किया है। उन्होंने यह भी कहा कि मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री ने भगवान भोलेनाथ की आस्था के साथ भी धोखा किया। कांग्रेस प्रवक्ता ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री और केंद्रीय गृहमंत्री राम मंदिर में चढ़ावे से जुड़े कथित आरोपियों को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस मामले को पहले भी उठाया गया था, लेकिन उस पर ध्यान नहीं दिया गया। पाटिल ने यह भी दावा किया कि जांच रिपोर्ट में चंपत राय और मिश्रा का नाम शामिल नहीं है।